

प्रकरण संख्या 205/17 अनवान मोहम्मद खॉं बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/23	<p>पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्व सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 7/11/2023 को पेश हो। आज्ञा से</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p> <p style="text-align: center;">रीडर डिविजनल कमिश्नर जोधपुर</p>	
7/11/23	<p>पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्व सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 8/11/2024 को पेश हो। आज्ञा से</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p> <p style="text-align: center;">रीडर डिविजनल कमिश्नर जोधपुर</p>	
8/11/24	<p>पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्व सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 14/2/24 को पेश हो। आज्ञा से</p> <p style="text-align: center;">Ⓟ</p> <p style="text-align: center;">रीडर डिविजनल कमिश्नर जोधपुर</p>	
	<p>14.2.24 पत्रावली पेश हुई। अपीलार के अधिवक्ता मसूदा के वाक्य उपस्थित नहीं हैं। अधिवक्ता उपस्थित अपीलार अधिवक्ता उपस्थित होने हेतु न्यायालय को नोट से तीन बार जवाब मांगाई जा चुका है। वही अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं वही अपीलार उपस्थित हुए। वेतने में अपील को और विचारधर्म देना मसूदा उपस्थित रहे देना मसूदा अपील अपीलार अधिवक्ता को मसूदा एवं/मसूदा देना में वाक्य को मसूदा है। एका देना मसूदा मसूदा देना</p>	



संभागीय आयुक्त जोधपुर